माननीय न्यायमूर्ति हेमन्त गुप्ता और अजय तिवारी के समक्ष

निर्मल

बनाम

भारत संघ एवं अन्य-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक ***8122***-सीएटी ऑफ़ ***2004***

29 जुलाई ***2008***

भारत का संविधान, **1950**-अनुच्छेद। **226**--विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, **1995**-धारा **47**-केंद्रीय सिविल सेवा (चिकित्सा परीक्षा) नियम, **1957**-आरआई.**2(2)**-केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश नियम), **1972** - नियम **20** - पूर्वव्यापी प्रभाव से सेवाओं की समाप्ति - मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है कि सरकारी कर्मचारी पूरी तरह से और स्थायी रूप से अक्षम है - **1995** अधिनियम के अधिनियमन के बाद बर्खास्तगी का आदेश पारित - धारा **47** के प्रावधानों का उल्लंघन जो इस बात पर विचार करता है कि सेवा के दौरान विकलांगता प्राप्त करने वाले कर्मचारी की सेवाएं नहीं ली जा सकतीं समाप्त किया जाएगा - सक्षम प्राधिकारी द्वारा छुट्टी को अस्वीकार करने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा - भले ही मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट

करने वाला सरकारी कर्मचारी पूरी तरह से और स्थायी रूप से अक्षम हो, भले ही सेवा की स्वत: समाप्ति नहीं हो - ऐसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एक आदेश पारित करना आवश्यक है - पूर्वव्यापी प्रभाव से सेवाओं को समाप्त करने का आदेश प्रभाव पूरी तरह से अवैध, अनुचित और अन्यायपूर्ण है - याचिका स्वीकार की गई, ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द किया गया।

निर्णय दिया गया कि मेडिकल बोर्ड की राय *5* अगस्त, *1994* को प्राप्त हुई थी। लेकिन यशपाल की सेवाओं के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। मेडिकल बोर्ड की दूसरी रिपोर्ट के बाद सेवाएं समाप्त करने का आदेश पारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा यशपाल के संबंध में छुट्टी अस्वीकार करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। यदि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हो जाती है कि सरकारी कर्मचारी पूर्णतया एवं स्थायी रूप से अक्षम है, तो भी सेवा स्वतः समाप्त नहीं होती है। ऐसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करना आवश्यक है. ऐसा आदेश वर्ष *2002* में पारित किया गया है, अत: यह नहीं कहा जा सकता कि वर्ष *1994* में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होते ही सेवा समाप्त हो गयी। अध्ययन नियमावली के नियम *20* के अतिरिक्त उत्तरदाता पूर्वव्यापी प्रभाव से यशपाल की सेवा समाप्त करने के संबंध में किसी मिसाल या नियम का संदर्भ लें।

(पैरा 7)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1 जून, 2002 को श्री यशपाल की सेवाओं को पूर्वव्यापी प्रभाव से समाप्त करने का पारित आदेश पूरी तरह से अवैध, अनुचित और अन्यायपूर्ण है और अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसलिए, अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद श्री यशपाल की बर्खास्तगी का कोई कानूनी परिणाम नहीं है और यह अनुचित है।

(पैरा 8)

याचिकाकर्ता के लिए कोई नहीं.

आर.के. शर्मा, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए।

हेमन्त गुप्ता, जे.

(1) वर्तमान रिट याचिका में चुनौती 26 अगस्त, 2003 के आदेश को दी गई है, जिसके तहत श्रीमती निर्मला देवी (बाद में 'आवेदक' के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर एक मूल आवेदन दिया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया.

(2) आवेदक के मृत पति श्री यशपाल 24 जनवरी, 1991 से राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (संक्षेप में 'एनडीआरआई') में परिचारक ग्रेड- I के रूप में कार्यरत थे। 25 फरवरी को उनकी दुर्घटना हो गई और 26 फरवरी, 1993 से 19 मार्च, 1993 तक सर गंगा राम अस्पताल में इनडोर रोगी के रूप में भर्ती रहे। चिकित्सा राय रिपोर्ट दिनांक 5 अगस्त, 1994 के अनुसार, श्री यशपाल किसी भी प्रकार की आगे की सेवा के लिए पूरी तरह से और स्थायी रूप से अक्षम पाए गए। श्री यशपाल द्वारा 11 अक्टूबर, 1995 को उनकी शारीरिक स्थिति में सुधार के आधार पर मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी पुन: जांच के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि, वर्ष 2002 में ही मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी जांच की गई और 22 मई, 2002 की रिपोर्ट के अनुसार, यह पाया गया कि आवेदक की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ऐसी रिपोर्ट के आधार पर, 1 जून, 2002 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें श्री यशपाल की सेवाएं 13 अगस्त, 1994 से समाप्त कर दी गईं। दुर्भाग्य से, श्री यशपाल की 13 जुलाई, 2002 को मृत्यु हो गई। अपनी सेवाओं के लिए, आवेदक ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 19 के तहत एक आवेदन दायर करके न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया, जिसमें आवेदक ने अनुकंपा के आधार पर अपने बेटे के लिए नियुक्ति के साथ-साथ टर्मिनल लाभ का भी दावा किया।

(3) विद्वान न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि केंद्रीय सिविल सेवा (चिकित्सा परीक्षा) नियम, 1957 (संक्षेप में 'नियम') के प्रावधानों के संदर्भ में श्री यशपाल की सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। 13 अगस्त, 1994 से समाप्त कर दिया गया। यह पाया गया कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, मृतक को 5 अगस्त, 1994 की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार स्थायी रूप से अक्षम घोषित कर दिया गया है। समाप्ति को केवल इसलिए अनुचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 1 जून, 2002 को आदेश पारित कर 13 अगस्त, 1994 से मृतक की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दिया। यह वास्तव में उसे 1994 से मृत्यु की तारीख तक ड्यूटी पर मानने का अधिकार नहीं बनाता है। आदेश देना। यह भी पाया गया कि चूंकि मृतक ने अमान्य होने के समय 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी नहीं की है, इसलिए, मृतक का परिवार सेवांत लाभ का हकदार नहीं है और न ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदक के बेटे के दावे पर विचार किया जा सकता है।

(4) प्रतिवादी के विद्वान वकील नियमों के नियम 2(2) और केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी नियम), 1972 (संक्षेप में 'छुट्टी नियम') के नियम 20 पर भरोसा करते हैं, यह तर्क देने के लिए कि ऐसा माना जायेगा यशपाल को छह महीने की छुट्टी की समाप्ति पर सेवा से अमान्य कर दिया, अर्थात छुट्टी नियमों के नियम 20 के तहत अधिकतम छुट्टी दी जा सकती है। इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्ति का आदेश सही ढंग से पारित किया गया है। हालाँकि, प्रतिवादी के विद्वान वकील को विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 47 के प्रावधानों का सामना करना पड़ा, जो एक कर्मचारी की सेवाओं पर विचार करता है सेवा के दौरान विकलांगता प्राप्त करने पर उसे समाप्त नहीं किया जा सकता।

(5) (5) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि चूंकि समाप्ति पूर्वव्यापी तिथि से प्रभावी हुई है और ऊपर उल्लिखित

नियमों के अनुसार, यशपाल को अधिनियम के शुरू होने से पहले सेवा से बाहर माना जाता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 47 का लाभ आवेदक के पति यानी यशपाल को नहीं दिया जा सकता। इसमें कोई विवाद नहीं है कि यशपाल की सेवाएं समाप्त करने का आदेश 1 जून, 2002 को पारित किया गया था, यानी उपरोक्त अधिनियम के लागू होने के बाद। एक बार, अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद समाप्ति प्रभावी हो गई है, यह अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों का उल्लंघन है और इस प्रकार, इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

(6) एकमात्र तर्क, जिसकी अब जांच की जानी है, वह यह है कि क्या श्री यशपाल की सेवाओं को पूर्वव्यापी प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है या यह कहा जा सकता है कि सेवा अधिकतम अवधि की समाप्ति के साथ समाप्त हो गई है अवकाश नियमावली की धारा 20 के अंतर्गत अवकाश पर विचार किया गया। अवकाश नियमों का नियम 20, इस प्रकार है:

"20. ऐसे सरकारी कर्मचारी को छुट्टी दें, जिसके ड्यूटी पर लौटने के लिए फिट होने की संभावना नहीं है।

(1) (ए) xx xx xx

(बी) xx xx xx

(2) एक सरकारी कर्मचारी जिसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे की सेवा के लिए पूरी तरह से और स्थायी रूप से अक्षम घोषित किया गया है।

(ए) यदि वह ड्यूटी पर है, तो उसके कर्तव्यों से मुक्त होने की तारीख से सेवा से अमान्य कर दिया जाएगा, जिसकी व्यवस्था चिकित्सा प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बिना देरी किए की जानी चाहिए; हालाँकि, यदि उसे उप-नियम (एल) के तहत छुट्टी दी जाती है, तो ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर उसे सेवा से अमान्य कर दिया जाएगा।

(बी) यदि वह पहले से ही छुट्टी पर है, तो उप-नियम के तहत उसे दी गई छुट्टी या छुट्टी के विस्तार, यदि कोई हो, की समाप्ति पर सेवा से अमान्य कर दिया जाएगा।

(7) (7) उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि मेडिकल बोर्ड की राय 5 अगस्त 1994 को प्राप्त हुई थी। लेकिन यशपाल की सेवाओं के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। मेडिकल बोर्ड की दूसरी रिपोर्ट के बाद सेवाएं समाप्त करने का आदेश पारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा यशपाल के संबंध में छुट्टी अस्वीकार करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। यदि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हो जाती है कि सरकारी कर्मचारी पूर्णतः एवं स्थायी रूप से अक्षम है, तो भी सेवा स्वत: समाप्त नहीं होती है। ऐसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करना आवश्यक है. ऐसा आदेश वर्ष 2002 में पारित किया गया है, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्ष 1994 में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरंत बाद सेवा समाप्त हो गई थी। उक्त नियम के अलावा, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील यशपाल की सेवा पूर्वव्यापी प्रभाव से समाप्त करने के संबंध में किसी मिसाल या नियम का उल्लेख नहीं है।

(8) (8) कुणाल सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (1) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक कर्मचारी, जो अपनी सेवा के दौरान विकलांगता प्राप्त करता है, को धारा 47 के तहत संरक्षित किया जाना है। अधिनियम का. उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि 1 जून, 2002 को श्री यशपाल की सेवाओं को पूर्वव्यापी प्रभाव से समाप्त करने का पारित आदेश पूरी तरह से अवैध, अनुचित और अनुचित है और धारा 47 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अधिनियम का. इसलिए, अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद श्री यशपाल की बर्खास्तगी का कोई कानूनी परिणाम नहीं है और यह अनुचित है।

(9) [1] उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2003 को पारित आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। इसके

[1](1) (2003) 4 एससीसी 524

परिणामस्वरूप, आवेदक द्वारा दायर मूल आवेदन की अनुमति दी जाती है और 1 3 अगस्त, 1994 से श्री यशपाल की सेवाओं को समाप्त करने के 1 जून, 2002 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे यशपाल को उसकी मृत्यु की तारीख यानी 13 जुलाई, 2002 तक सेवा में मानें और सभी परिणामी लाभों का भुगतान करें। तीन माह की अवधि में किया जाना आवश्यक है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

स्मृति

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

कुरूक्षेत्र, हरियाणा